क्रम-संख्या--702(क)

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1,--खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 21 दिसम्बर, 1979
अग्रहायण 30, 1901 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग--1

संख्या 3378/सत्रह-वि-1-37-78
लखनऊ, 21 दिसम्बर, 1979

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश दण्ड विविध (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 1979 पर दिनांक 18 दिसम्बर, 1979 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, सन् 1979 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन)
(संशोधन) अधिनियम, 1979

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1979
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

कतिपय अपराधों का शमन और कतिपय दण्ड विचारण का उपशमन करने का उपबन्ध करने के उद्देश्य से, मोटर यान अधिनियम, 1939, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 कारखाना अधिनियम, 1948, पुलिस अधिनियम, 1861 और सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 का (उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में) और उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, 1959 और उत्तर प्रदेश दूकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और विस्तार

अधिनियम संख्या 4 सन् 1939 में नई धारा 131-ख का बढ़ाया जाना

2—मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 131-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

अपराधों का शमन

"131—ख (1) इस अध्याय (धारा 116, 117, 118-क, 123 और 123-क को छोड़कर) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का शमन, चाहे अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, किसी ऐसे आफिसर द्वारा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से सशक्त करे, अपराध के लिये नियत जुर्माना की अधिकतम रकम से अनधिक शमन फीस की ऐसी रकम जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा।

(2) जहां अपराध का इस प्रकार शमन—

(i) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हों तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा।"

अधिनियम संख्या 11 सन् 1948 में नई धारा 22-गग का बढ़ाया जाना

3—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में, धारा 22-ग के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

अपराधों का शमन

"22-गग—इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, जो केवल जुर्माने से दंडनीय हो और जो पहली बार किया गया हो, शमन, चाहे अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् किसी ऐसे आफिसर, द्वारा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से सशक्त करे, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, अपराध के लिए नियत जुर्माना की अधिकतम रकम से अनधिक शमन फीस की ऐसी रकम जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा और जहां अपराध का इस प्रकार शमन—

(i) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किए जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा।"

अधिनियम संख्या 63 सन् 1948 में नई धारा 106-क का बढ़ाया जाना

4—कारखाना अधिनियम, 1948 के अध्याय 10 में, धारा 106 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"106-क—इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का जो केवल जुर्माने से दंडनीय हो और जो पहली बार किया गया हो शमन, चाहे अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, निरीक्षक द्वारा राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, अपराध के लिये नियत जुर्माना की अधिकतम रकम से अनधिक शमन फीस की ऐसी रकम जिसे वह उचित समझे वसूल करने पर किया जा सकेगा, और जहां अपराध का इस प्रकार शमन—

(i) अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा।

(ii) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा;

अधिनियम संख्या 5 सन् 1861 की धारा 34-ए के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

5—पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 34-ए के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

धारा 32 और 34 के अधीन अपराधों का शमन

"34-क—धारा 32 या धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध का शमन जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा चाहे अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए अपराध के लिए नियत जुर्माना की अधिकतम रकम से अनधिक शमन फीस की ऐसी रकम जिसे वह उचित समझे वसूल करन पर किया जा सकेगा और जहां अपराध का इस प्रकार शमन:—

(i) अभियोजन संस्थित करने के पूर्व किया जाये, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा।"

अधिनियम संख्या 3 सन् 1867 में नई धारा 14-क का बढ़ाया जाना

6—सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात्—

"14-क—इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का शमन चाहे अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् किसी ऐसे आफिसर द्वारा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से सशक्त करे, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए अपराध के लिए नियत जुर्माना की अधिकतम रकम से अनधिक शमन फीस की ऐसी रकम जिसे वह उचित समझे वसूल करने पर किया जा सकेगा, और जहां अपराध का इस प्रकार शमन:—

(i) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा :

परन्तु इस धारा में निहित किसी बात से ऐसे अपराधी द्वारा, जिसे इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए कभी सिद्ध दोष किया गया हो, किये गये किसी अनुवर्ती अपराध का शमन करने का प्राधिकार नहीं होगा।"

उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 564 का संशोधन

7—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 564 में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"(ख) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों, उपविधियों या विनियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का शमन, चाहे अभियोजन निर्देशित किये जाने के पूर्व या पश्चात् राज्य सरकार की इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आज्ञा के अधीन रहते हुए, अपराध के लिए नियत अर्थ-दंड की अधिकतम धनराशि से अनधिक शमन फीस की ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर कर सकता है और जहां अपराध का इस प्रकार शमन:—

(i) अभियोजन निर्देशित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिये अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन निर्देशित किए जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी को दोषमुक्ति का होगा।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1962 की धारा 36 का संशोधन

8—उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 की धारा 36 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

"(3) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का शमन अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात्, मुख्य निरीक्षक द्वारा राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए अपराध के लिए नियत अर्थ दंड की अधिकतम धनराशि से अनधिक शमन फीस की ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा, और जहां अपराध का इस प्रकार शमन—

(i) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी को दोषमुक्ति का होगा।"

कतिपय विचारण का उपशमन

9—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,—

(1) (क) ऐसे अपराध के लिये जो :—

(एक) मोटर यान अधिनियम, 1939 के, या

(दो) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 के, जो उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध या उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन दण्डनीय पद्यम के संबंध में अपराध न हो, या

(तीन) पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 34 के, या

(चार) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 160 के अधीन दंडनीय है, या

(ख) केवल जुर्माना से दंडनीय किसी अन्य अपराध के लिये, अभियुक्त के विचारण का, या

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 107 या धारा 109 के अधीन किसी कार्यवाही का,

जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष 1 जनवरी, 1977 के पूर्व से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक पर लम्बित हो, उप शमन हो जायेगा।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 3378 (2)/XVII-V-1-37-38

Dated Lucknow, December 21, 1979

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dand Vidhi (Apradhon Ka Shaman Aur Vicharano Ka Upashaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1979 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 35 of 1979) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on December 18, 1979.

THE UTTAR PRADESH CRIMINAL LAW (COMPOSITION OF OFFENCES AND ABATEMENT OF TRIALS) (AMENDMENT) ACT, 1979

(U. P. ACT NO. 35 OF 1979)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Motor Vehicles Act, 1939, the Minimum Wages Act, 1948, the Factories Act, 1948, the Police Act, 1861 and the Public Gambling Act, 1867 (in their application to Uttar Pradesh) and the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, and the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhisthan Adhiniyam, 1962 with a view to provide for the composition of certain offences and abatement of certain criminal trials.

IT IS HEREBY enacted in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

Insertion of new section 131-B in Act no. 4 of 1939.

2. *After* section 131-A of the Motor Vehicles Act, 1939, the following section shall be *inserted*, namely :—

"131-B. (1) Any offence punishable under this Chapter (excluding sections 116, 117, 118-A, 123 and 123-A) may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf, be compounded either before or after the institution of the prosecution, by an officer specially empowered by the State Government in this behalf by notification, on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit, not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence.

Compounding of offences.

(2) Where the offence is so compounded—

(i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution for such offence and shall if in custody, be set at liberty;

(ii) after the institution of the prosecution, the composition shall amount to acquittal of the offender."

Insertion of new section 22-CC, in Act no. 11 of 1948.

3. In the Minimum Wages Act, 1948, *after* section 22-C, the following section shall be *inserted*, namely :—

Compounding of Offences.

"22-CC. An Officer specially empowered by the State Government in this behalf by notification may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf, compound any offence punishable under this Act with fine only committed for the first time, either before or after the institution of the prosecution, on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit, not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence ; and where the offence is so compounded—

(i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution for such offence and shall, if in custody, be set at liberty ;

(ii) after the institution of the prosecution, the composition shall amount to acquittal of the offender."

Insertion of new section 106-A in Act no. 63 of 1948.

4. In Chapter X of the Factories Act, 1948, *after* section 106, the following section shall be *inserted*, namely :—

Compounding of offences.

"106-A. The Inspector may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf compound any offence punishable under this Act with fine only and committed for the first time, either before or after the institution of the prosecution, on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence ; and where the offence is so compounded—

(i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution for such offence and shall, if in custody, be set at liberty ;

(ii) after the institution of the prosecution, the composition shall amount to acquittal of the offender."

Amendment of section 34-A of Act no. 5 of 1861.

5. *For* section 34-A of the Police Act, 1861, the following section shall be *substituted*, namely :—

Compounding of offences under sections 32 and 34.

"34-A. An offence punishable under section 32 or section 34 may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf, be compounded by the District Superintendent of Police, either before or after the institution of the prosecution, on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit, not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence ; and when the offence is so compounded—

(i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution, for such offence and shall, if in custody, be set at liberty ;

(ii) after the institution of the prosecution the composition shall amount to acquittal of the offender."

Insertion of new section 14-A in Act no. 3 of 1867.

6. *After* section 14 of the Public Gambling Act, 1867, the following section shall be *inserted*, namely :—

Compounding of offences.

"14-A An officer specially empowered in this behalf by the State Government by notification may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf, compound any offence punishable under this Act, either before or after the institution of the prosecution, on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit, not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence ; and where the offence is so compounded—

(i) before the institution of the prosecution the offender shall not be liable to prosecution for such offence and shall, if in custody, be set at liberty ;

(ii) after the institution of the prosecution, the composition shall amount to acquittal of the offender.

Provided that nothing contained in this section shall authorise the composition of any subsequent offence committed by an offender who has once been convicted for any offence punishable under this Act."

Amendment of section 564 of U. P. Act no. 2 of 1959.

7. In section 564 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, *for* clause (*b*), the following shall be *substituted*, namely :—

"(*b*) subject to any general or special orders of the State Government in this behalf, compound any offence punishable under this Act, or rules, bye-laws or regulations made thereunder, either before or after the institution of the prosecution, on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence ; and where the offence is so compounded :—

(i) before the institution of the prosecution ; the offender shall not be liable to prosecution for such offence and shall, if in custody, be set at liberty ;

(ii) after the institution of the prosecution the composition shall amount to acquittal of the offender."

Amendment of section 36 of U. P. Act no. 26 of 1962.

8. In section 36 of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhisthan Adhiniyam, 1962, *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(3) The Chief Inspector may, subject to any general or special order the State Government in this behalf, compound any offence punishable under this Act, either before after the institution of the prosecution, on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence ; and where the offence is so compounded—

(i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution for such offence and shall, if in custody, be set at liberty ;

(ii) after the institution of the prosecution, the composition shall amount to acquittal of the offender."

Abatement of certain trials.

9. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force,—

(1) the trial of an accused for—

(*a*) an offence punishable under—

(i) the Motor Vehicles Act, 1939 ; or

(ii) the Public Gambling Act, 1867, not being an offence punishable under section 3 of that Act or an offence in respect of wagering punishable under section 13 of that Act ; or

(iii) section 34 of the Police Act, 1861 ; or

(iv) section 160 of the Indian Penal Code, 1860 ; or

(*b*) any other offence punishable with fine only, or

(2) a proceeding under section 107 or section 109 of the Code of Criminal Procedure, 1973, pending before a Magistrate on the date of commencement of this Act from before January 1, 1977 shall abate.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 262 सा० (विधा०)—21-12-79—(3048)—1979—800 (मे०)